

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग—एक)  
 संख्या १५६७-२१/उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०४, २०१८

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम      | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद नाम              | पद नाम/ नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम   |
|----------|---------------------|--|--|
| 1.       | श्री राजेन्द्र सिंह | प्रधान सहायक, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा। | प्रधान सहायक, जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर। |

- 2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर 01 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

०३/४/२०१८  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा/बागेश्वर।
- कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर।
- प्रभारी बैवसाईट, उत्तराखण्ड।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

०३/४/२०१८  
 (अनुपम द्विवदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग-एक)  
 संख्या । ५८६-२१ / उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०४, २०१८


### आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निमानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम       | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद नाम              | पद नाम/नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम       |
|----------|----------------------|--|---|
| 1.       | श्री शिव मोहन शुक्ला | कानिष्ठ सहायक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत। | कानिष्ठ सहायक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर। |

2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर 01 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सम्बन्धित कार्मिक।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत/ ऊधमसिंहनगर।
3. कोषाधिकारी, चम्पावत/ ऊधमसिंहनगर।
4. प्रभारी बेवसाइट, उत्तराखण्ड।
5. उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग-एक)  
 संख्या | ५६७८१ / उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०८, २०१८

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निमानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर पद सहित स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम          | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद नाम                          | पद नाम/नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम                                  |
|----------|-------------------------|--|--|
| 1.       | श्री गम्भीर सिंह गुंसाई | सहायक सांचियकीय अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी। | सहायक सांचियकीय अधिकारी, (प्रथम) जिला उद्योग केन्द्र, नरेन्द्रनगर (टिहरी)। |

- 2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर 01 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

७५४६८  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी/ नरेन्द्रनगर (टिहरी)।
- कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ नरेन्द्रनगर (टिहरी)।
- प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग-एक)  
 संख्या १५६५-२०१ /उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०८, २०१८

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के कम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से पद सहित नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम     | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद   | पद नाम/नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम                   |
|----------|--------------------|---|---|
| 1.       | श्री एस०एन०कुकरेती | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी<br>जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार<br>(पौड़ी गढ़वाल) | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,<br>जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून। |

- 2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर 01 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

*6/४/२०१८*  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- सम्बन्धित कार्मिक।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून / कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)
- कोषाधिकारी, देहरादून / कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।
- प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

*अनुपम द्विवेदी*  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग-एक)  
 संख्या | ५६८-२१ / उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०८, २०१८

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद नाम              | पद नाम/ नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम    |
|----------|----------------|--|---|
| 1.       | कु० संगीता शाह | कनिष्ठ सहायक, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा। | कनिष्ठ सहायक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी। |

- 2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर 01 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 3— कु० संगीता शाह को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा इनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

*कौशल्या बन्धु*  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा/उत्तरकाशी।
- कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/उत्तरकाशी।
- प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

*अनुपम द्विवेदी*  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग-एक)  
 संख्या १५६५-२१ /उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०४, २०१८

**आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के कम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निमानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है : -

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम   | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद<br>नाम               | पद नाम/नवीन तैनाती संबंधी<br>कार्यालय का नाम  |
|----------|------------------|--|---|
| 1.       | श्री सोमनाथ गर्ग | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर। | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत। |

2- संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर 01 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3- नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

अनी डाकाह  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर / चम्पावत।
- कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर / चम्पावत।
- प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

अनुपम द्विवेदी  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग—एक)  
 संख्या १५६३-४१ /उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०८, २०१८

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र०<br>सं० | कार्मिक का नाम        | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद<br>नाम                    | पद नाम/नवीन तैनाती संबंधी<br>कार्यालय का नाम           |
|-------------|-----------------------|---|--|
| 1.          | श्री बद्री प्रसाद सती | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपेश्वर (चमोली) | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुडकी (हरिद्वार)। |

2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर ०१ सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्त पूर्ववत् रहेंगी।

३१/८/१८  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- सम्बन्धित कार्मिक।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपेश्वर (चमोली)/रुडकी (हरिद्वार)।
- कोषाधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)/रुडकी (हरिद्वार)।
- प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

१०/८/१८  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग—एक)  
 संख्या १५६२-२०१० / उ०नि०(एक)-१५ / २०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०४, २०१८

### आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के कम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम         | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद नाम                       | पद नाम/ नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम             |
|----------|------------------------|---|--|
| 1.       | श्री प्रकाश सिंह असवाल | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपेश्वर (चमोली) | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुडकी (हरिद्वार)। |

2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर 01 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

### संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सम्बन्धित कार्मिक।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपेश्वर (चमोली)/ रुडकी (हरिद्वार)।
3. कोषाधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)/ रुडकी (हरिद्वार)।
4. प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
5. उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग-एक)  
 संख्या १५६१-२०१ / उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०४, २०१८

### आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम      | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद नाम            | पद नाम/ नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम                    |
|----------|---------------------|--|---|
| 1.       | श्री माधो सिंह रावत | सहायक प्रबन्धक, उद्योग निदेशालय, देहरादून। | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)। |

2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर 01 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

*(कौशल्या बन्धु)*  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित कार्मिक।
2. बिल सहायक /आहरण वितरण अधिकारी, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।
4. कोषाधिकारी, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।
5. प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, डालनवाला, देहरादून।
7. उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

*(अनुपम द्विवेदी)*  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग—एक)  
 संख्या १५६०-२०१ / उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०८, २०१८

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र०<br>सं० | कार्मिक का नाम   | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद<br>नाम                     | पद नाम/ नवीन तैनाती संबंधी<br>कार्यालय का नाम                 |
|-------------|------------------|--|---|
| 1.          | श्री एच०सी०हटवाल | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुड़की (हरिद्वार) | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)। |

- 2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर ०१ सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- सम्बन्धित कार्मिक।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रुड़की (हरिद्वार)/ कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।।
- कोषाधिकारी, रुड़की (हरिद्वार)/ कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।
- प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

## उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

(कार्मिक अनुभाग-एक)

संख्या १५५७२१ /उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९

दिनांक: देहरादून: जून ०८, २०१८

### आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम       | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद नाम                  | पद नाम/नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम     |
|----------|----------------------|--|---|
| 1.       | श्री जी०पी०दुर्गापाल | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर। | सहायक प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चम्पावत। |

2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर ०१ सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्त पूर्ववत् रहेंगी।

  
(कौशल्या बन्धु)  
अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- सम्बन्धित कार्मिक।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर/ चम्पावत।
- कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/ चम्पावत।
- प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

  
(अनुपम द्विवेदी)  
उप निदेशक उद्योग।

## उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

(कार्मिक अनुभाग-एक)

संख्या १५५७२१ / उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९

दिनांक: देहरादून: जून ०८, २०१८


### आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम    | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद नाम                     | पद नाम/नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम                          |
|----------|-------------------|---|--|
| 1.       | श्री राकेश उनियाल | अपर सांखिकीय अधिकारी जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून। | अपर सांखिकीय अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) |

2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर ०१ सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सम्बन्धित कार्मिक।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) / देहरादून।
3. कोषाधिकारी, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) / देहरादून।
4. प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
5. उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग-एक)  
 संख्या १५५६७१/उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०८, २०१८


### आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के कम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :—

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम   | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद                                   | पद नाम/नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम                     |
|----------|------------------|---|---|
| 1.       | श्री पंकज तिवारी | सहायक विकास अधिकारी<br>(प्रथम) जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा। | सहायक विकास अधिकारी<br>(प्रथम) जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर। |

2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर ०१ सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्त पूर्ववत् रहेंगी।

  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- सम्बंधित कार्मिक।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा/बागेश्वर।
- कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/बागेश्वर।
- प्रभारी बैवसाईट, उत्तराखण्ड।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।

**उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड**  
 (कार्मिक अनुभाग-एक)  
 संख्या १५५८-२१/उ०नि०(एक)-१५/२०१८-१९  
 दिनांक: देहरादून: जून ०८, २०१८

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के कम में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में निम्नानुसार कार्मिक को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

| क्र० सं० | कार्मिक का नाम | वर्तमान कार्यालय का नाम/ पद   | पद नाम/नवीन तैनाती संबंधी कार्यालय का नाम             |
|----------|----------------|---|---|
| 1.       | श्री ए०क०बलूनी | अपर सांख्यिकीय अधिकारी<br>जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार<br>(पौड़ी गढ़वाल) | अपर सांख्यिकीय अधिकारी,<br>उद्योग निदेशालय, देहरादून। |

2— संबंधित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर ०१ सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।


3— नये तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा तथा उनकी अन्य सेवा शर्त पूर्ववत् रहेंगी।

  
 (कौशल्या बन्धु)  
 अपर निदेशक उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बंधित कार्मिक।
- बिल सहायक/आहरण वितरण अधिकारी, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)
- कोषाधिकारी, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।
- प्रभारी बेवसाईट, उत्तराखण्ड।
- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, डालनवाला, देहरादून।
- उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

  
 (अनुपम द्विवेदी)  
 उप निदेशक उद्योग।